डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुज्ञप्ति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि. पं. -04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अप्रैल 2004—चैत्र 26, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्र. 1893-112-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 8 अप्रैल, 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २००४.

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) अधिनियम, २००४.

[दिनांक ८ अप्रैल, २००४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १५ अप्रैल, २००४ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने तथा उसके अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) अधिनियम, २००४ है.

(२) यह २९ जून, २००१ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) विद्युत् ऊर्जा का प्रत्येक उत्पादक उस विद्युत् ऊर्जा पर, जो किसी मास के दौरान उसकी १० किलोवाट क्षमता से अधिक की कैप्टिव पावर इकाई या डीजल या अन्य जनरेटर सेट के द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, ऊर्जा विकास उपकर 20 पैसा प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को चुकाएगा :

परन्तु—

(एक) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(दो) किसी रेल कम्पनी के जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कम्पनी द्वारा;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(चार) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अ. रजिस्ट्रीकृत किसी ग्रामीण विद्युत् सहकारी सोसाइटी द्वारा;

(पांच) स्थानीय निकायों द्वारा जिनमें वे नगरपालिक निकाय तथा पंचायतें भी सम्मिलित हैं जो ऐसी निकायों द्वारा अनुरक्षित किसी बाजार स्थान में सड़क बत्ती या बत्तियां या जल संकर्म या लोक समागम के किन्हीं अन्य स्थानों में उपभुक्त की जाने हेतु;

उपभुक्त की गई विद्युत ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊर्जा विकास उपकर की रकम मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उत्तरवर्ती सत्ता द्वारा संगृहीत की जाएगी और इस प्रकार संगृहीत रकम राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी."

विधिमान्यताकरण.

३. (१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसे ऊर्जा विकास उपकर के संबंध में, जो कि इस अधिनियम की धारा २ के अनुसरण में अधिरोपित तथा वसूल

किया गया हो या जिसका उस तरह अधिरोपित किया जाना या वसूल किया जाना तात्पर्यित रहा हो, समस्त प्रयोजनों के लिये यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वह विधिमान्यत: अधिरोपित तथा वसूल किया गया है मानो कि इस अधिनियम की धारा २ द्वारा यथा संशोधित की गई मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) उन समस्त सारवान समयों पर, जबकि ऐसा ऊर्जा विकास उपकर अधिरोपित या वसूल किया गया था, प्रवृत्त था और तदनुसार—

(क) ऐसे उपकर के अधिरोपण या वसूली के संबंध में किए गए समस्त कार्य, की गई कार्यवाहियों या बातों के संबंध में, समस्त प्रयोजनों के लिये यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे विधि के अनुसार विधिमान्यत: की गई हैं;

(ख) कोई भी उपकर जो इस अधिनियम की धारा २ द्वारा किए गए संशोधन के अनुसरण में उस कालावधि के लिए, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व की हो, अधिरोपित किया गया हो या वसूली योग्य हो, उस रीति में वसूल किया जा सकेगा जो कि उनके लिए उपबंधित है;

(ग) इस प्रकार चुकाए गए या वसूल किए गए किसी उपकर के प्रतिदाय के लिये किसी न्यायालय में राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी चाहे कोई भी हो, के विरुद्ध कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी;

(घ) कोई भी न्यायालय, इस प्रकार चुकाए गए किसी उपकर के प्रतिदाय का निदेश देने वाली किसी भी डिक्री या आदेश को प्रवर्तित नहीं करेगा.

(२) शंका को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) में यथा उपबंधित के सिवाय, उस उपधारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को इस बात के लिए निवारित करती है कि वह,—

(क) किसी कालावधि के लिए ऊर्जा विकास उपकर के अधिरोपण को मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रश्नगत करें, या

(ख) मूल अधिनियम के अधीन उसके द्वारा आधिक्य में चुकाए गए उपकर के प्रतिदाय के लिए दावा करें.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्र. 1894-112-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2004.

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYATAKARAN) ADHINIYAM, 2004.

[Received the assent of the Governor on the 8th April, 2004; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary)" dated the 15th April, 2004.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 and to validate certain actions taken thereunder.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan Tatha Vidhimanyatakaran) Adhiniyam, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 29th June, 2001.

Amendment of Section 3.

2. For sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) (hereinafter referred to as the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Every producer of electrical energy shall pay to the State Government an energy development cess at the rate of 20 paise per unit on the electrical energy sold or supplied to a consumer or consumed by himself or his employees by his captive power unit or diesel or other generator set of more than 10 Kilowatt capacity during any month :

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy consumed by—

(i) the Government of India for consumption by that Government;

(ii) the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India;

(iii) the State Government for consumption by that Government;

(iv) a Rural Electric Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);

(v) the local bodies including Municipal bodies and Panchayats for consumption in public street lamp or lamps in any market place or water works or any other places of public resort maintained by such bodies :

Provided further that the amount of energy development cess shall be collected by the Madhya Pradesh State Electricity Board or the successor entity and the amount so collected shall be made available to the State Government."

Validation.

3. (1) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, the energy development cess imposed and recovered or purported to have been imposed or recovered in pursuance of Section 2 of this Act, shall, for all purposes be deemed to be and to have always been validly imposed and recovered as if sub-section (2) of Section 3 of the principal Act as amended by Section 2 of this Act were enforced at all material times when such energy development cess was imposed or recovered and accordingly—

(a) all acts, proceedings or things done or taken in connection with the imposition or recovery of such cess shall, for all purposes be deemed to be and to have always been validly done or taken in accordance with law;

(b) any cess imposed and recoverable in pursuance of the amendment made by Section 2 of this Act for the period prior to the commencement of this Act may be recovered in the manner provided therefor;

(c) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court against the State Government or any person or authority whatsoever for the refund of any cess so paid or recovered;

(d) no court shall enforce any decree or order directing the refund of any cess so paid.

(2) For the removal of doubt it is hereby declared that save as provided in sub-section (1) nothing in that sub-section shall be construed as preventing any person—

(a) from questioning in accordance with the provisions of principal Act, the imposition of energy development cess for any period; or

(b) for claiming refund of the cess paid by him in excess under the principal Act.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.